

## —:कार्यालय निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर:—

### —: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य विषय भूगोल/लोक प्रशासन में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (श्री/श्रीमती/सुश्री)	जन्म दिनांक	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	सुरभि सिंहल— व्या. भूगोल राउमावि. लोटियाना, जवाजा, अजमेर	28.10.90	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1(23-04)RPSC/Appt/HRD/2017/845 दिनांक-24.10.2019
2	हिम्मताराम— व्या. लोक प्रशासन राउमावि. मीनमाल, जालोर	06.07.85	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ1(23-14)RPSC/Appt/HRD/2017/846 दिनांक-24.10.2019

विभाग छोड़ने के बाद वर्तमान धारित पद पर कार्मिक का स्थाईरूप से कार्यरत होने के कारण नियमानुसार पदाधिकार रहेगा। साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 01.11.2019

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-5/कार्यमुक्ति/18-19 /536

1. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक/वित्त(राजस्व)/सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. संयुक्त निदेशक प्रशासन, कार्यालय हाजा को वरिष्ठता अनुभाग में रिकॉर्ड अपडेशन हेतु।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा।
8. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
9. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर